



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256528
CG-DL-E-21082024-256528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3204]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3204]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3520(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2740 तारीख 15/06/2022, 3726 तारीख 21/08/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के पाटन जिले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 56.8 से कि.मी.98.3 (प्रान्त ऑफिस, कॉलेज रोड, पाटन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०९.११.२०२३" को "ध इंडियन एक्सप्रेस" और "गुजरात समाचार" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के पाटन जिले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 56.8 से कि.मी.98.3 (प्रान्त ऑफिस , कॉलेज रोड, पाटन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: पाटन		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सरस्वती					
गांव का नाम: कोटावड					
1	388 (44/4)	निजी	कृषि	0.4693	पटेल अमृतभाई परसोत्तमभाई 388
2	390 (44/1)	निजी	कृषि	0.5526	पटेल अमृतभाई परसोत्तमभाई 390
3	391 (44/2)	निजी	कृषि	0.3092	पटेल वीराभाई मनजीभाई, पटेल संतोकबेन विराभाई, पटेल राजेशभाई विराभाई, पटेल महेशभाई विराभाई, पटेल रमीबेन विराभाई , पटेल संगीताबेन विराभाई, पटेल दक्षाबेन विराभाई, पटेल निताबेन विराभाई 391
4	392 (65)	निजी	कृषि	0.3009	पटेल अंबारामभाई रामजीभाई, पटेल बाबूभाई अंबारामभाई, पटेल दिनेशभाई अंबारामभाई, पटेल जयंतीभाई अंबारामभाई, पटेल हरिभाई उमेदभाई, पटेल रमेशभाई उमेदभाई, चंद्रिकाबेन सुरेशभाई पटेल, ब्रिजेशकुमार सुरेशभाई पटेल, मिताली

					सुरेशभाई पटेल, मित सुरेशभाई पटेल, जिग्नेश वीरचंदभाई पटेल, रोशनीबेन वीरचंदभाई पटेल 392
5	393 (66 पैकी)	निजी	कृषि	0.4929	पटेल रमेशभाई मंगलभाई, पटेल महेन्द्रभाई मंगलभाई, पटेल भरतभाई मंगलभाई, पटेल कमुबेन मंगलभाई, पटेल दिनेशभाई मंगलभाई 393
6	394 (68/2/ पैकी 2)	निजी	कृषि	0.401	पटेल कांतिभाई जीवाभाई, पटेल शांताबेन कांतिभाई, पटेल अशोकभाई कांतिभाई, पटेल पीयूषकुमार कांतिभाई, पटेल मनीषाबेन कांतिभाई 394
7	395 (67)	निजी	कृषि	0.2354	पटेल चतुरभाई शिवाभाई 395
8	397 (68/1/ पैकी 2)	निजी	कृषि	0.3317	पटेल जयंतीभाई हरीभाई 397
9	398 (68/1/ पैकी 1)	निजी	कृषि	0.1326	पटेल बाबूभाई हरीभाई 398
10	399 (68/2/ पैकी 1)	निजी	कृषि	0.479	पटेल प्रवीणभाई मफतलाल, पटेल मुकेश कुमार मफतलाल 399
11	400 (69)	निजी	कृषि	0.1478	पटेल मफाभाई वेनाभाई, पटेल सीताबेन मफाभाई, पटेल संगीताबेन मफाभाई, पटेल गीताबेन मफाभाई, पटेल अल्काबेन मफाभाई 400
12	401 (70/2)	निजी	कृषि	0.256	पटेल गंगारामभाई जीवाभाई 401
13	402 (70/1)	निजी	कृषि	0.3484	पटेल जयंतीभाई हरीभाई 402

14	403 (71 पैकी)	निजी	कृषि	0.3309	पटेल मफाभाई वेनाभाई, पटेल नारणभाई हीराभाई, पटेल मणिबेन शिवाभाई, पटेल निताबेन शिवाभाई, पटेल गीताबेन शिवाभाई, पटेल कालीबेन शिवाभाई, पटेल मणिबेन नारणभाई, पटेल मुकेशभाई नारणभाई, पटेल संगीताबेन नारणभाई, पटेल आशाबेन नारणभाई 403
15	408 (74)	सरकारी	पडतर	0.532	एन पडतर 408
16	409	सरकारी	श्री सरकार	0.0761	श्री सरकार 409
17	410 (75)	सरकारी	पडतर	0.3982	एन पडतर 410
18	497 (89 पैकी)	निजी	कृषि	0.0242	रबारी छगनभाई करशनभाई रबारी मणिबेन छगनभाई रबारी डाहयाभाई छगनभाई रबारी देवशीभाई छगनभाई 497
Total				5.8182	

[फा. सं. NHAI/PIU-Palanpur/2021/Tharad-Ahmedabad/3(a)/3D1]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O. 3520(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 2740 Dated:15/06/2022, 3726 Dated:21/08/2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 56.8 to Km. 98.3 (Prant Office, College Road, Patan) in the district of Patan in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” and “Gujarar Samachar” both dated 09.11.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 56.8 to Km. 98.3 (Prant Office, College Road, Patan) in the district of Patan in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: Patan		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Saraswati					
Village: Kotavad					
1	388 (44/4)	Private	Agriculture	0.4693	Patel Amrutbhai Parsottambhai 388
2	390 (44/1)	Private	Agriculture	0.5526	Patel Amrutbhai Parsottambhai 390
3	391 (44/2)	Private	Agriculture	0.3092	Patel Virabhai Manjibhai, Patel Santokben Virabhai, Patel Rajeshbhai Virabhai, Patel Maheshbhai Virabhai, Patel Ramiben Virabhai , Patel Sangeetaben Virabhai, Patel Dakshaben Virabhai , Patel Nitaben Virabhai 391
4	392 (65)	Private	Agriculture	0.3009	Patel Ambarambhai Ramjibhai, Patel Babubhai Ambarambhai, Patel Dineshbhai Ambarambhai, Patel Jayantibhai Ambarambhai, Patel Haribhai Ummedbhai, Patel Rameshbhai Umedbhai, Chandrikaben Sureshbhai Patel, Brijeshkumar Sureshbhai Patel,

					Mitali Sureshbhai Patel, Meet Sureshbhai Patel, Jignesh Veerchandbhai Patel, Roshniben Virchandbhai Patel 392
5	393 (66 Paiki)	Private	Agriculture	0.4929	Patel Rameshbhai Mangalbhai, Patel Mahendrabhai Mangalbhai, Patel Bharatbhai Mangalbhai, Patel Kamuben Mangalbhai, Patel Dineshbhai Mangalbhai 393
6	394 (68/2/ Paiki 2)	Private	Agriculture	0.401	Patel Kantibhai Jeevabhai, Patel Shantaben Kantibhai, Patel Ashokbhai Kantibhai, Patel Piyushkumar Kantibhai, Patel Manishaben Kantibhai 394
7	395 (67)	Private	Agriculture	0.2354	Patel Chaturbhai Shivbhai 395
8	397 (68/1/ Paiki 2)	Private	Agriculture	0.3317	Patel Jayantibhai Haribhai 397
9	398 (68/1/ Paiki 1)	Private	Agriculture	0.1326	Patel Babubhai Haribhai 398
10	399 (68/2/ Paiki 1)	Private	Agriculture	0.479	Patel Praveenbhai Mafatlal, Patel Mukesh Kumar Mafatlal 399
11	400 (69)	Private	Agriculture	0.1478	Patel Mafabhai Venabhai, Patel Sitaben Mafabhai, Patel Sangeetaben Mafabhai, Patel Geetaben Mafabhai, Patel Alkaben Mafabhai 400
12	401 (70/2)	Private	Agriculture	0.256	Patel Gangarambhai Jivabhai 401
13	402 (70/1)	Private	Agriculture	0.3484	Patel Jayantibhai Haribhai 402
14	403 (71 Paiki)	Private	Agriculture	0.3309	Patel Mafabhai Venabhai, Patel Naranbhai Hirabhai,

					Patel Maniben Shivbhai, Patel Nitaben Shivabhai, Patel Geetaben Shivbhai, Patel Kaliben Shivbhai, Patel Maniben Naranbhai, Patel Mukeshbhai Naranbhai, Patel Sangeetaben Naranbhai, Patel Ashaben Naranbhai 403
15	408 (74)	Government	Padtar	0.532	NA Padatar 408
16	409	Government	SHREE SARKAR	0.0761	SHREE SARKAR 409
17	410 (75)	Government	Padtar	0.3982	NA Padatar 410
18	497 (89 Paiki)	Private	Agriculture	0.0242	Rabari Chhaganbhai Karshanbhai, Rabari Maniben Chhaganbhai, Rabari Dahyabhai Chhaganbhai, Rabari Devshibhai Chhaganbhai 497
Total				5.8182	

[F. No. NHAI/PIU-Palanpur/2021/Tharad-Ahmedabad/3(a)/3D1]

ABHAY JAIN, Director